

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

विषय-

अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद-वाराणसी व फाफामऊ- इलाहाबाद रेल खण्ड पर स्थित सम्पार संख्या-टी/1बी के 2 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.0152 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

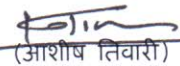
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2819/11सी/एफपी/यूपी/रोड/30577, दिनांक 3-4-2018 के सन्दर्भ में अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद-वाराणसी व फाफामऊ- इलाहाबाद रेल खण्ड पर स्थित सम्पार संख्या-टी/1बी के 2 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.0152 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरांत शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

2- विषयगत प्रकरण 1.00 हे० से कम का है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश सं० एफ०एन० संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 13-2-2014 में उल्लिखित 13 श्रेणी के कार्यों में किसी श्रेणी से सम्बंधित प्रतीत नहीं होता है।

3- अतएव उक्त प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या-पी-35(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद
- 4- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
- 5- परियोजना प्रबंधक उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० सेतु निर्माण इकाई इलाहाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।